

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(74)ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/प्रशि./2016-17

जयपुर, दिनांक 18 मई, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।


विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के डाटा उपयोग हेतु आपके जिले से 3 कार्मिक यथा योजना प्रभारी, SECC से सम्बंधित साख्यकी अधिकारी एवं एमआईएस मैनेजर को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 23, 24 एवं 25 मई 2016 को विभाग के समिति कक्ष में आयोजित किया जावेगा।

| क.सं. | दिनांक | जिले का नाम व समय प्रातः 9:30 से 1:30 बजे तक | जिले का नाम व समय प्रातः 2:00 से 6:00 बजे तक |
|-------|------------|---|--|
| 1 | 23.05.2016 | जोधपुर, जैसलमेर, बाडमेर, जालौर व पाली | बांसवाडा, चित्तौडगढ,, बांरा, कोटा, झालावाड व भीलवाडा |
| 2 | 24.05.2016 | सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ, नागौर, डूंगरपुर व उदयपुर | धौलपुर, करौली, अजमेर, अलवर व भरतपुर |
| 3 | 25.05.2016 | जयपुर, दौसा, सर्वाई माधोपुर, टोंक व बून्दी | चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ, सीकर व झुन्झुनु |

अतः उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपके जिले से सम्बंधित कार्मिकों को भिजवाने पूर्व यह भी सुनिश्चित करे।


- 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम में उसी कार्मिक को भिजवावे जो कि उक्त कार्य सम्पादित कर रहा है।
- 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने से पूर्व जिले से सम्बंधित समस्त शिकायतों/समस्याओं को संकलित कर दिनांक 20.05.2016 तक विभाग को ई-मेल आईडी serd_mis@yahoo.com पर प्रेषित करते हुये प्रशिक्षण के दौरान साथ में लावे, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में समाधान किया जा सके।


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 2 संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.) ग्रामीण विकास विभाग।
- 3 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) ग्रामीण विकास विभाग।

4.


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)